उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-250/2026/745/41-2-2026-सीएन-2024559
लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2026

संख्या-71/2026/359/41-2-2026-CN- **2024559, दिनांक 23.03.2026**

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-7139/6-1-1(292)/2024-2**5,** दिनांक 21 मार्च, 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-71/2026/359/41-2-2026-CN- 2024559, दिनांक 23.02.2026 द्वारा जनपद बांदा के ग्राम सौखरव विकास खण्ड सुमेरपुर में स्थित महापति मानेश्वर बाबा मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु रू0 69.81 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 13.01.2026 को आहूत अप्रेजल समिति की बैठक के कार्यवृत्त की तालिता के क्रमांक 36 पर अंकित परियोजना के नाम में त्रुटिवश जनपद हमीरपुर के स्थान पर जनपद बांदा अंकित हो गया है, जिसके क्रम में शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. महानिदेशक, पर्यटन के उपर्युक्त पत्र, दिनांक 21 मार्च, 2026 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार निर्गत शासनादेश संख्या-71/2026/359/41-2-2026-CN-2024559, दिनांक 23.02.2026 में अंकित परियोजना का नाम जनपद बांदा के ग्राम सौखरव विकास खण्ड सुमेरपुर में स्थित महापति मानेश्वर बाबा मंदिर के पर्यटन विकास कार्य के स्थान पर **जनपद हमीरपुर के ग्राम सौखरव विकास खण्ड सुमेरपुर में स्थित महापति मानेश्वर बाबा मंदिर के पर्यटन विकास कार्य** अंकित किया जाता है।

3. तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 23.02.2026 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, बांदा।
5. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ**0**प्र**0** राजकीय निर्माण निगम लि**0** (यू**0**पी**0**आर**0**एन**0**एन**0**), लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक पर्यटक, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, (रा0यो0) मुख्यालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in